

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024 — आषाढ़ 28, शक 1946

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जुलाई 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-9/2024/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को निम्नानुसार शक्तियां प्रदत्त करती है :-

1. भूमि स्वामी/उसके पिता/पति के नाम/उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना;
2. कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना;
3. त्रुटिवश जोड़े गये खसरो को पृथक करना;
4. भूमि के सिंचित/असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना;
5. भूमि के एक फसली/बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 19th July 2024

NOTIFICATION

No. F-11-09/2024/7-1. — In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, confers the powers to the Tahsildar under Section 115 of the said Code are as follows :-

1. Correcting clerical error in the name/surname, caste, address of the Land Owner/his father/husband;
2. Correcting incorrect entry made in remark column;
3. Separating of Khasra added by mistake;
4. Correcting in entry regarding irrigated/non-irrigated land;
5. Correcting of error in entry of single harvest/multiple harvest of land.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAMESH KUMAR SHARMA, Special Secretary.